न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल, जिला बारां

प्रकरण संख्या : 133/2018

नट्टी बाई पुत्री पन्ना पत्नि भैरूलाल जाति मेहर निवासी सोनवां हाल निवासी नोताडा तह0 दीगोद जिला कोटा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—वादनी

बनाम

01. कल्याणी पुत्री गणेश पत्नि रंगलाल जाति मेहर निवासी कुश्या तह0 मांगरोल
02. मोहनलाल पुत्र रंगलाल जाति मेहर निवासी कुश्या तह0 मांगरोल
03. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री माहेनलाल जाति मेहर निवासी कुश्या तह0 मांगरोल
04. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादीगण

दावा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 आर0टी0एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादनी : श्री भंवर सिंह गौड
वकील प्रतिवादीगण : श्री हरीश राजावत
दायरा दिनांकः

निर्णय दिनांक : 21.12.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है उक्त उनवान के प्रकरण में सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.11.2018 का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है कि वादनी के काका कल्याण के खाता संख्या 22 नया 18 पुराना में खसरा नं0 90 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 92 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 93 रकबा 0.81 है0, खसरा नं0 193 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 544 रकबा 0.63 है0, खसरा नं0 545 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 361 रकबा 0.76 है0 कुल किता 7 कुल 2.59 है0 आराजी खाते में दर्ज है यह आराजी जमाबंदी 2062—2065 में खातेदार कल्याण पुत्र गणेश निवासी कुश्या तहसील मांगरोल के नाम दर्ज है जो विवादित है। उक्त आराजी सम्वत 2014—2023 तक गणेश पुत्र चौथ्या के नाम खाते में दर्ज थी। इस आराजी का सेटलमेंट से पूर्व खसरा नं0 372 रकबा 2 बिस्वा खसरा नं0 95 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 97 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं0 89 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं0 248 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 276 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा दर्ज था। उक्त आराजी गणेशराम की मृत्यु के बाद कल्याण पत्रु गणेश और शंकरी पत्नि गणेश के नाम दिनांक 23.12.1965 को जर्ये इंतकाल खाते लगी। इंतकाल में इस बात का उल्लेख किया गया कि गणेशराम के 2 पत्निया गंगा व शंकरी थी। गंगाा की मृत्यु हो चुकी है तथा गंगा की पुत्री नेनी और नट्टी बाई वादनी है नेनी और नट्टी बाई वादनी ने अपना हक व हिस्सा लेने से इंकार किया अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहती है, फलस्वरूप गणेशराम के स्थान पर कल्याण और उसकी पत्नि शंकरी का नाम खाते दर्ज किया गया। गणेशराम का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

8757

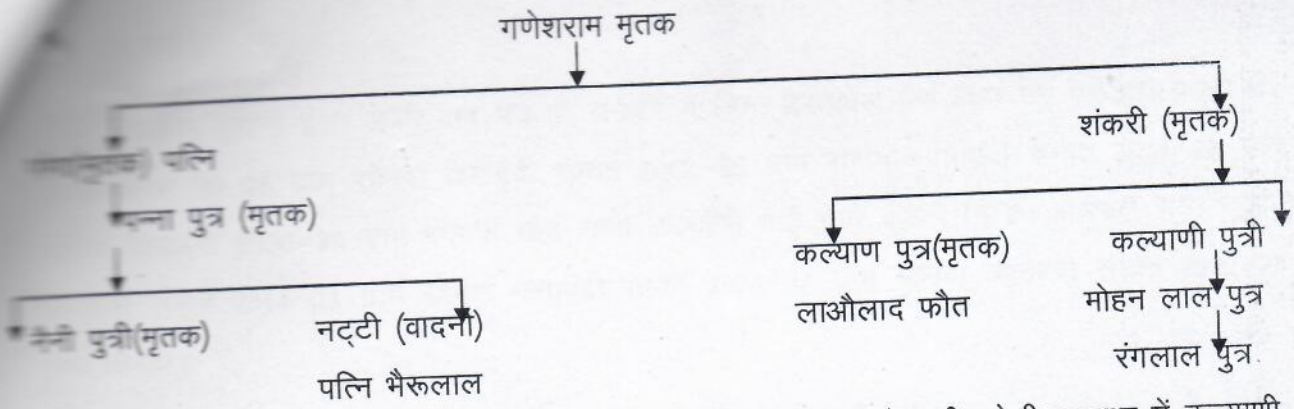

कल्याण की मृत्यु होने के समय उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गयी। ऐसी अवस्था में कल्याणी ने एक फर्जी दस्तावेज मोलनलाल के लडके देवेन्द्र का तैयार कर पंजीयन करवाया। गोदनामा कल्याण उर्फ रामकल्याण के द्वारा लिखा गया। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण अवैध व शून्य है। कल्याण ने कभी किसी लडके को व व्यक्ति को गोदपुत्र नही रखा ना ही उनके पक्ष में कोई दस्तावेज लिखा। कल्याण की माता शंकरी के देहान्त के बाद एक मात्र खातेदार कल्याण रह गया। उक्त वर्णित आराजी में वादनी का हिस्सा 1/2 निहित है वादनी के द्वारा वक्त इंतकाल कोई अपना हक त्याग कल्याण व शंकरी के पक्ष में नही किया। वादनी की उम्र वक्त इंतकाल 12 साल थी जो अपना अव्यस्क होने के कारण हित अहित समझने में सक्षम नही थी। अतः निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजी ग्राम सोनवां खाता संख्या 22 नया 18 पुराना किता 7 कुल रकबा 2.59 है0 का 1/2 हिस्सा वादनी के खाते पृथक से दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश राजावत ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 3 देवेन्द्र कुमार का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए दिनांक 12.11.2010 को वाद वादनी खारिज फरमा दिया गया।

वादनी द्वारा निर्णय दिनांक 12.11.2010 की अपील करने पर अपीलीय न्यायालय भू0प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोटा केम्प बारां ने अपने निर्णय दिनांक 23.05.2011 से वादनी नट्टी बाई की अपील स्वीकार करके पुनः निर्णय करने हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड कर दी गयी।

पत्रावली अपीलीय न्यायालय से प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब दावा पेश न करने पर दिनांक 11.04.2016 को जवाब दावा बंद करके तनकीयात कायम की गयी दिनांक 05.09.2018 को साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 नट्टी बाई, पीडब्ल्यू 2 रामभरोस पीडब्ल्यू 3 रामदेव साक्ष्य

[illegible] किये गये जिरह नही करने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए जिरह बंद की गयी।

वकील वादनी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किए गए जो इस प्रकार है। नामान्तकरण नं0 26 ग्राम सोनवां जमाबंदी सम्वत 2062–65 ग्राम सोनवां जमाबंदी सम्वत 2014–26 ग्राम सोनवां जमाबंदी 2036–39 ग्राम सोनवां गोद नामा कल्याणी बाई ग्राम कुश्या मिलान क्षेत्रफल ग्राम कुश्या जमाबंदी सम्वत 2014–23 ग्राम सोनवां जमाबंदी सम्वत 2024–27 ग्राम सोनवां जमाबंदी सम्वत 2020–23 ग्राम सोनवां।

वाद पत्र व दस्तावेज के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

01. आया राजस्व ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल के खसरा नं0 90, 92, 93, 193, 544, 545 व 361 कुल किता 7 रकबा 2.59 है0 पर पृथक खातेदार घोषित कर पृथक खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। (वादी)

02. आया दिनांक 09.01.2008 दर्ज पंजीकृत गोदनामा फर्जी होकर खारिज योग्य है। वादनी

03. दादरसी

वादनी ने अपने साक्ष्य में गवाह में पीडब्ल्यू 1 नट्टी बाई, पीडब्ल्यू 2 रामभरोस पीडब्ल्यू 3 रामदेव साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुए। बहस सुनी गयी राजस्व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार से दिया जाता हैः–

तनकी नं0 1ः– तनकी नं0 1 को साबित करने का भार वादनी पर था। वकील वादनी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों को दोहराया है जो उन्होने अपने वाद पत्र व साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित किया है। वकील वादनी ने बताया कि हाल जमाबंदी सम्वत 2062–65 में कुल किता 7 रकबा 2.59 है0 आराजी दर्ज हो रही है इस आराजी में वादनी अपना हिस्सा 1/2 पृथक कराकर पृथक से खाते दर्ज कराना चाहती है। उन्होने सजरा की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कहां कि पूर्व खातेदार गणेशराम के दो पत्निया क्रमशः गंगाबाई व शंकरी थीं। गंगा के नुत्फे से एक पुत्र पन्ना उत्पन्न हुआ जिसके दो पुत्रियां क्रमशः नैनी व नट्टी बाई थी। नैनी की मृत्यु हो चुकी है। और नटी बाई ने यह वाद पेश किया है।

गणेशराम की मृत्यु के बाद जो इंतकाल दर्ज हुआ उसमें नट्टी बाई का नाम दर्ज नही होकर मात्र शंकरी के पुत्र कल्याण व पुत्री कल्याणी का नाम दर्ज हो गया। जबकि पन्नालाल का पिता भी गणेशराम था और कल्याण का पिता भी गणेशराम था इस प्रकार दोनो अर्थात पन्ना व कल्याण का नाम आना चाहिए था, यदि पन्ना मर गया था तो उसके स्थान पर उसकी पुत्री नट्टी का नाम दर्ज होना चाहिए था क्योकि नट्टी का दादा गणेशराम था। पीडब्ल्यू 1, 2 व 3 की साक्ष्य से स्पष्ट है कि नट्टी बाई पन्नालाल की पुत्री व

पन्ना की पोती है। उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार नट्टी बाई का जन्म लेते ही गणेशराम की
1/2 आराजी में हिस्सा बन गया था। इस प्रकार नट्टी बाई गणेशराम पूर्व खातेदार की आराजी में 1/2
हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। तथा कल्याण भी पूर्व खातेदार गणेशराम का पुत्र है जो लाऔलाद फौत
हो चुका है। वह सम्पूर्ण आराजी का खातेदार ना होकर 1/2 हिस्से का स्वामी है। क्योकि कल्याण व पन्ना
दोनो हि गणेशराम के पुत्र है तथा 1/2–1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। कल्याण के गोद नामे
को सही भी मान लिया जावे तब देवेन्द्र प्रतिवादी कम 3 कल्याण का गोद पुत्र बन जावेगा उस स्थिति में
भी देवेन्द्र कल्याण का हिस्सा 1/2 ही प्राप्त करने का अधिकारी होगा। न्यायालय वकील वादी के तर्को से
सहमत है। मृतक पूर्व खातेदार गणेशराम के दो पुत्र कमशः पन्ना व कल्याण उर्फ रामकल्याण थें जिनका
विरासत में समभाग आराजी प्राप्त होगी और पन्ना की पुत्री नट्टी बाई होने से 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की
अधिकारिणी है। तथा अपना हिस्सा पृथक घोषित कराने की अधिकारिणी है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार
तनकी नं0 1 वादनी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:– तनकी नं0 1 वादनी के पक्ष में निर्णित हो चुकी है। और उसको 1/2 हिस्से का अधिकारी
मान लिया गया है। तो शेष 1/2 हिस्सा कल्याण का रहेगा। मृतक कल्याण अपना 1/2 हिस्सा किसी को
भी दे सकता है। गोदनामा बहक सही मान लिया जावे तो देवेन्द्र कल्याण का गोद पुत्र हो जावेगा उस
स्थिति में भी देवेन्द्र 1/2 हिस्सा ही प्राप्त करेंगा क्योकि कल्याण 1/2 हिस्से का ही खातेदार था। वादनी
सिर्फ 1/2 हिस्से की मांगी कर रही है जो विरासत में उसे प्राप्त हो चुका है अब कल्याण के गोदनामा से
वादनी को कोई लेना देना नही है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी नं0 2 वादनी के विरूद्ध व
प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

दादरसी:– वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है पत्रावली में पेश जमाबंदी सम्वत
2062–65 ग्राम सोनवां में दर्ज खातेदार कल्याण बेटा गणेशराम जाति मेहर निवासी कुश्या की खातेदारी
खारिज की जाकर जमाबंदी में दर्ज रकबा कुल किता 7 रकबा 2.59 है0 में से 1/2 हिस्से का खातेदार
वादनी नट्टी बाई को घोषित किया जाता है 1/2 हिस्से का खातेदार पूर्ववत कल्याण पुत्र गणेशराम घोषित
किया जाता है।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मांगरोल द्वारा पत्र कमांक/भू0अ0/5539 दिनांक 13.12.2018 से
बंटवारा स्कीम प्रस्तुत की। जो शामिल फाईल किया गया एवं पत्रादि का अवलोकन किया गया। तदनुसार
जमाबंदी सम्वत 2062–65 ग्राम सोनवां में दर्ज खातेदार कल्याण बेटा गणेशराम जाति मेहर निवासी कुश्या
की खातेदारी खारिज की जाकर जमाबंदी में दर्ज रकबा कुल किता 7 रकबा 2.59 है0 में से 1/2 हिस्से
का खातेदार वादनी नट्टी बाई पुत्री पन्ना पत्नि भैरूलाल मेहर निवासी सोनवां को घोषित किया जाता है।
और 1/2 हिस्से का खातेदार पूर्ववत कल्याण पुत्र गणेशराम लाऔलाद फौत होने से वारिस कल्याणी पुत्री

पत्नि रंगलाल मेहर निवासी कुश्या को घोषित किया जाता है। उक्त दोनो सहखातेदारो के मध्य निम्न [illegible] विभाजन स्वीकार किया जाता है:–

01. नट्टी बाई पुत्री पन्ना पत्नि भैरूलाल जाति मेहर निवासी सोनवां हिस्सा 1/2 को खसरा नं0 90 दक्षिणी रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 93 दक्षिणी रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 193 बा0 उ0 रकबा 0. 01 है0, खसरा नं0 361 पश्चिमी रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 544 उत्तरी रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 545 उत्तरी 0.18 है0 कुल किता 6 रकबा 1.30 है0।
02. कल्याणी पुत्री गणेशराम पत्नि रंगलाल जाति मेहर निवासी कुश्या हिस्सा 1/2 को खसरा नं0 90 उत्तरी रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 92 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 93 उत्तरी रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 193 पूर्वी रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 361 पूर्वी रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 544 दक्षिणी रकबा 0.40 है0 कुल किता 6 रकबा 1.29 है0।

तदनुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाय